कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,बेरीनाग

UTTARAKHAND

फोन नं0– 05964–244117 फैक्स नं0–05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 1867 / 27सी दिनांक 21 / 10 / 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट के लिंक मार्ग से बानड़ी–चकाधार–धरमोली–घांघल–सुकना मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 में पड़ने वाली 0.81 हे0 वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण (प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/149823/2021)

संदर्भः– आपका कार्यालय पत्रांक 985 / 12–1 दिनांक 31.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर पुनः प्रेषित है:–

क्र0 सं0	लगायी गयी आपत्ति (प्रश्न)	आपत्तियों का निराकरण (उत्तर)
1	2	3
1	प्रयोजन हेतु गठित प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 2.28 (भू–गर्भीय निरीक्षण आख्या) के अनुसार यह संरेखण 5.00 किमी0 की लम्बाई में प्रस्तावित है। परन्तु भू–वैज्ञानिक की आख्या एवं ग्राम वासियों के साथ किये गये सर्वे के अनुसार मार्ग 4.32 किमी0 की लम्बाई तक निर्माण किया जाना उपयुक्त होना बताया गया है। अतः स्पष्ट करें मार्ग की 5.00 किमी0 में निर्माण कार्य किया जायेगा, अथवा 4.32 किमी0 की लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण किया जायेगा।	परियोजना हेतु गठित प्रस्ताव में 5.00 किमी0 की भू–वैज्ञानिक आख्या तैयार कर ऑनलाइन अपलोड कर दी गयी है। हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र–20 3.2 (वन अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन वासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उप खण्ड स्तरीय समिति गंगोलीहाट) में उपखण्ड स्तरीय समिति के सदस्य उप प्रभागीय वनाधिकारी बेरीनाग के हस्ताक्षर कराते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।	वन वासी अधिनियम उप खण्ड स्तरीय समिति के संबंध में अवगत कराना है कि उप जिलाधिकारी बेरीनाग के पत्रांक 253 / वन अधि0–समिति गठित / 2020–21 दिनांक 19.08.2021 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी को समिति का सदस्य नामित किया गया है। जबकि तत्समय वन विभाग के नामित सदस्य उप प्रभागीय वनाधिकारी थे। वन अधिकार अधिनियम 2006 के उप खण्ड स्तरीय समिति एवं जिलाधिकारी समिति से पूर्व में ही उक्त प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। जिला स्तरीय समिति पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी से पारित हो चुकी है। अतः उक्त पारित प्रस्ताव को अग्रसारित करने की कृपा करें।

3	प्रस्ताव में संलग्न प्रारूप 13 (Performa for Comparison between alignments) के अनुसार चयनित वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 468 दिखाये गये हैं, जबकि आपके द्वारा प्रस्ताव में सलग्न प्रपत्र 6 (प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण का प्रारूप) के अनुसार चयनित संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 62 तथा वैकल्पिक संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 80 दर्शायी गयी है जो कि उचित प्रतीत नही हो रहा है, कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 13 (Performa for Comparison between alignments) में संशोधन कर दिया गया है। संशोधित विश्लेषण के अनुसार चयनित संरेखण में 62 वृक्ष एवं वैकल्पिक संरेखण में 80 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के एवं 10 बांज वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। प्रपत्र की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
4	प्रस्ताव में संलग्न पृष्ठ सं0 2.19 (Certificate for Muck Displant) में जो Muck Disposal Plan का आंकलन किया गया है, वह राम मंदिर से सिराड़ी प्राईमरी स्कूल थथोली ससपोड़ा मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 के लिये किया गया है। अतः प्रस्तावित मार्ग बानड़ी से चकाधार धरमोली घाघल सुकना मोटर मार्ग हेतु Muck Disposal Plan तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करना सुनिश्चित करें।	प्रस्ताव में संलग्न पृष्ठ सं0 2.19 (Certificate for Muck Disposal Plan) में संशोधित कर दिया गया है। प्रपत्र की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
5	भारत सरकार के आदेश सं0 5–3/ 2011–एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के आधार पर एन0पी0वी0 का आंकलन करते हुए वन क्षेत्राधिकारी से सत्यापित कर प्रपत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।	भारत सरकार के आदेश सं0 5–3/ 2011–एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार एन0पी0वी0 की संशोधित दरें इस खण्ड में उपलब्ध नही हैं। कृपया एन0पी0वी0 की नवीन दरें अपने स्तर से प्रस्ताव में संलग्न करने की कृपा करें।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संरेखण में ग्रामीणों द्वारा विवाद किये जाने के कारण आंशिक संशोधन किया गया है। संरेखण के अनुरूप डिजिटल मैप तैयार कर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ एवं आपकी सहमति प्राप्त कर ली गयी है। संशोधित डिजिटल मैप की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार हार्ड कापी

भवदीय

21.10.23

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

27/10/23